संख्या- 106 /38-ब0प्र0-2012-100(16)/2011

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2012

ब0 पु0 समाज कल्याण

विषय: केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-815/26-ब0प्र0-2011-100(16)/2011, दिनांक 24.11.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या-81 में उपर्युक्त योजनान्तर्गत राज्यांश मद में रु0-11.24 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के प्रस्तर-1(6) एवं 1(8) निम्नानुसार अंकित है:-

"1-(6)- उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्ष 2010-11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में ही किया जायेगा।

"1-(8) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-101-पंचायती राज-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-ग्रामीण स्वच्छता कार्यकम के कार्यान्वयन हेतु अनुदान (जिला योजना) भारत सरकार की सहायता राज्यांश-20-सहायक अनुदान सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जाएगा।"

श्री राजीव
30-3-12

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर-1(6) एवं 1(8) को निम्नानुसार संशोधित समझा जाये:-

"1-(6)- उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्ष 2011-12 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में ही किया जायेगा।

"1-(8) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-ग्रामीण स्वच्छता कार्यकम के क्रियान्वयन हेतु

अनुदान (जिला योजना)--भारत सरकार की सहायता राज्यांश--20--सहायता अनुदान--सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जाएगा।

3-- उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 24.11.2011 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश के अन्य प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय

(बी0 बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2-- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3-- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
4-- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
5-- एन0आई0सी0 की प्रति।
6-- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0--3/वित्त (बजट) अनु0--2।
7-- बजट प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(बी0 बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव